

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 28, 2016 ∕वैशाख 8, 1938 No. 306] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 28, 2016/VAISAKHA 8, 1938

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 28 अप्रैल, 2016

सं. फेमा. 363/2016-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.िन. 465(अ).—िवदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसुचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।

(1)

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2055 GI/2016

2. विनियम 2 में संशोधन

- ए. मौजूदा उप-विनियम (ii) के बाद, एक नया उप-विनियम अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(iiA) श्रेणी-I आनुकल्पित निवेश निधि (Cat-I AIF) का अभिप्राय सेबी (आनुकल्पित निवेश निधियाँ) विनियमावली, 2012 के अंतर्गत पंजीकृत आनुकल्पित निवेश निधि से है जो उक्त विनियमावली के अनुसार धन जुटाती है और विनिर्दिष्ट निधियों अथवा सेक्टरों अथवा गतिविधियों अथवा क्षेत्रों में निवेश करती है।"
- बी. मौजूदा उप-विनियम (vबी) को हटाया जाएगा।
- सी. मौजूदा उप-विनियम (x) के पश्चात, एक नया उप-विनियम अंतर्निहित किया जाएगा, अर्थात:-
 - "(xA) 'स्टार्टअप' का अभिप्राय ऐसी एंटिटी से होगा जिसका भारत में गठन अथवा पंजीकरण हुए पांच वर्ष से अधिक न हुआ हो, जिसका वार्षिक पण्यावर्त किसी भी विगत वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ भारतीय रुपए से अधिक न रहा हो, जो प्रोद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपदा द्वारा संचालित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं अथवा सेवाओं के नवोन्मेष/अभिनव, विकास, नियोजन/अनुप्रयोग अथवा वाणिज्यीकरण (commercialization) के लिए कार्यरत हो,

बशर्ते कि ऐसी एंटिटी पहले से ही अस्तित्व वाले किसी व्यवसाय (business) के विभाजन या उसके पुनर्निर्माण के माध्यम से न बनाई गई हो।

इस प्रयोजन हेतु,

- (i) संस्थान (एंटिटी) का अर्थ किसी निजी क्षेत्र की लिमिटेड कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित), अथवा पंजीकृत साझेदारी फ़र्म (साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 59 के तहत पंजीकृत) या सीमित (लिमिटेड) देयता भागीदारी फर्म (सीमित देयता भागीदारी (साझेदारी) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत) से है।
- (ii) 'पण्यावर्त' अभिव्यक्ति का अभिप्राय, कंपनी अधिनियम, 2013 में पारिभाषित किए अनुसार है।
- (iii) किसी संस्थान (एंटिटी) को अभिनवीकरण, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक सम्पदा आधारित नए उत्पादों, प्रक्रियाओं या सेवाओं के विकास, अनुप्रयोग या वाणिज्यीकरण के संबंध में कार्यरत माना जाता है, यदि उसका लक्ष्य निम्नलिखित को विकसित करना और उनका वाणिज्यीकरण करना है- (ए) एक नया उत्पाद या सेवा या प्रक्रिया अथवा (बी) महत्वपूर्ण रूप से सुधार किए गए मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया, जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के सुजन या उसके मूल्य संवर्धन में सहायक हो।

बशर्ते कि इसमें केवल (ए) उत्पाद या सेवाएँ या प्रक्रियाएं जिनमें वाणिज्यीकरण की संभावनाएं न हों; अथवा (बी) एक समान (undifferntiated) उत्पाद या सेवाएँ या प्रक्रियाएं अथवा (सी) उत्पाद या सेवा या प्रक्रियाएं जो ग्राहकों या कार्य के प्रवाह के संबंध में मूल्य संवर्धन नहीं करते या सीमित वृद्धि करते हों- के केवल विकास शामिल नहीं होंगे।

3. विनियम 5 में संशोधन

विनियम 5 में, मौजूदा उप-विनियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"(5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत कोई विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI) अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट तरीके एवं शर्तों के तहत निवेश कर सकता है।"

4. अनुसूची 6 में संशोधन

मूल विनियमावली में, मौजूदा अनुसूची 6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची 6

[विनियम 5(5) देखें]

पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI) द्वारा निवेश

1. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (FVCI) द्वारा निवेश

- (1) सेबी (FVCI) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत पंजीकृत कोई विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक निम्नलिखित की खरीद कर सकता है:
 - (ए) इस अनुसूची के अनुबंध में उल्लिखित किसी क्षेत्र में संलग्न भारतीय कंपनी द्वारा जारी ईक्विटी अथवा ईक्विटी सम्बद्ध लिखत अथवा कर्ज़ लिखत और उक्त प्रतिभूतियों / लिखतों के जारी होने के समय जिसके शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं;
 - (बी) किसी स्टार्टअप, वह चाहे जिस क्षेत्र में संलग्न हो, द्वारा जारी ईक्विटी अथवा ईक्विटी सम्बद्ध लिखत अथवा कर्ज़ लिखत:
 - (सी) किसी जोखिम पूंजी निधि (VCF) अथवा श्रेणी-I आनुकल्पिक निधि (AIF) की यूनिटें अथवा किसी जोखिम पूंजी निधि अथवा श्रेणी-I आनुकल्पिक निधि (AIF) द्वारा स्थापित योजना अथवा निधि की यूनिटें;

में उन शर्तों के तहत जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाए।

नोट: सेबी (FVCI) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत पंजीकृत किसी विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक को इस अनुसूची के अंतर्गत निवेश करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी।

- (2) पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक उल्लिखित प्रतिभूतियों / लिखतों को इन प्रतिभूतियों / लिखतों को इनके जारीकर्ता से अथवा प्रतिभूतियों / लिखतों के धारक अथवा किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज से खरीद सकता है।
- (3) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक द्वारा समस्त निवेश की प्रतिफल राशि सामान्य बैंकिंग चैनल के जिए विदेश से किए गए आवक विप्रेषण से अथवा जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है पूर्व में किए गए निवेश की बिक्रीगत / परिपक्वतागत आगम राशि अथवा हुई आय से अदा की जा सकेगी।

2. पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक द्वारा खाता रखना

पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता और / अथवा रुपया खाता खोल सकता है बशर्ते ऐसा खाता खास तौर पर इस अनुसूची में वर्णित लेनदेनों के लिए ही उपयोग में लाया जाए।

3. निवेशों का अंतरण (Transfers)

विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक जिन प्रतिभूतियों/लिखतों में निवेश करने के लिए अनुमत है, उन्हें क्रेता और विक्रेता/निर्गमकर्ता से, आपसी स्वीकार्य कीमत पर, किसी निवासी व्यक्ति अथवा अनिवासी व्यक्ति से क्रय करके अथवा अन्य प्रकार से अर्जित कर सकता है अथवा बिक्री के जिए अंतरण अथवा निपटान कर सकता है। जोखिम पूंजी निवेशक जोखिम पूंजी निधियों अथवा श्रेणी—I आनुकल्पिक निवेश निधियों (AIF) अथवा जोखिम पूंजी निधियों अथवा श्रेणी—I आनुकल्पिक निवेश निधियों (AIF) द्वारा स्थापित योजना / निधियों के समापन पर आगम राशि भी प्राप्त कर सकता है।

4. रिपोर्टिंग

विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक द्वारा किए गए वास्तविक अंतःप्रवाह / बिहर्प्रवाह और किए गए निवेश रिज़र्व बैंक अथवा सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से रिपोर्ट किए जाएंगे।"

अनुबंध

उन क्षेत्रों की सूची जिनमें विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों को निवेश की अनुमित है

- 1. जैवप्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालाजी)
- 2. सूचना प्रौद्योगिकी से संबन्धित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विकास
- 3. नैनोटेक्नालाजी
- 4. बीज अनुसंधान एवं विकास (Seed research and development)
- 5. फार्मास्युटिकल क्षेत्र में नए रसायनों / दवा कंपनियों में अनुसंधान एवं विकास
- 6. डेरी उद्योग
- 7. मुर्गीपालन (पोल्ट्री) उद्योग
- 8. जैव-ईंधन (बायो-फ्यूल) का उत्पादन
- 9. तीन हज़ार से अधिक सीटों की क्षमता वाले होटल-सह-कन्वेन्शन केन्द्र
- 10. इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र: (इसमें बाह्य वाणिज्यिक दिशानिर्देशों/समय समय पर यथासंशोधित मौजूदा फेमा विनियमाविलयों में अधिसूचित नीतियों के अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा में अंतर्विष्ट क्षेत्र में शामिल गतिविधियां शामिल होंगी)।"

[फा. सं. 1/5/ईएम/2016]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.िन. सं. 406(अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007
सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007
सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003	सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008
सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004	सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008
सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004	सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009
सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004	सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010
सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004	सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012
सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004	सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012
सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012
सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005	सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012

सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012	सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012	सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012	सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013	सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013	सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013	सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013	सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013	सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013	सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013	सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013	सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013	, ,
सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013	सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015
सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014	सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015
सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014	सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015
सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014	सा.का.नि. सं. 165(अ) दिनांक 15.02.2016
सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014	• •
सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014	सा.का.नि. सं. 166(अ) दिनांक 15.02.2016
सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014	सा.का.नि. सं. 369(अ) दिनांक 30.03.2016

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th April, 2016

No. FEMA. 363/2016-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2016

G.S.R. 465(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:—

1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 2

- A. After the existing sub-regulation (ii), a new sub-regulation shall be inserted namely:-
 - "(iiA) 'Category I Alternative Investment Fund (Cat-I AIF)' means an Alternative Investment Fund registered under the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 which raises money and invests in such funds or sectors or activities or areas in accordance with the said Regulations."
- **B**. The existing sub-regulation (vb) shall be deleted.
- C. After the existing sub-regulation (x), a new sub-regulation shall be inserted namely:-
 - "(xA) 'startup' shall mean an entity, incorporated or registered in India not prior to five years, with an annual turnover not exceeding INR 25 Crores in any preceding financial year, working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property,

Provided that such entity is not formed by splitting up, or reconstruction of a business already in existence.

For this purpose,

- (i) 'entity' shall mean a private limited company (as defined in the Companies Act, 2013), or a registered partnership firm (registered under section 59 of the Partnership Act, 1932) or a limited liability partnership (under the Limited Liability Partnership Act, 2008).
- (ii) the expression 'turnover' shall have the same meaning as assigned to it under the Companies Act, 2013.
- (iii) An entity is considered to be working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property if it aims to develop and commercialize (a) a new product or service or process; or (b) a significantly improved existing product or service or process that will create or add value for customers or workflow.

Provided that it will <u>not</u> include the mere act of developing (a) products or services or processes which do not have potential for commercialization; or (b) undifferentiated products or services or processes or (c) products or services or processes with no or limited incremental value for customers or workflow.

3. Amendment to Regulation 5

In Regulation 5, the existing sub-regulation (5) shall be substituted by the following namely:-

"(5) A Foreign Venture Capital Investor registered with SEBI may make investment in the manner and subject to the terms and conditions specified in Schedule 6."

4. Amendment to Schedule 6

In the principal regulations, the existing Schedule 6 shall be substituted by the following, namely:-

"SCHEDULE 6

[See Regulation 5(5)]

INVESTMENT BY A REGISTERED FOREIGN VENTURE CAPITAL INVESTOR

1. Investment by Foreign Venture Capital Investor

- (1) A Foreign Venture Capital Investor (FVCI) registered under the SEBI (FVCI) Regulations, 2000, may purchase
 - (a) equity or equity linked instruments or debt instruments, issued by an Indian company engaged in any sector mentioned at Annex to this Schedule and whose shares are not listed on a recognised stock exchange at the time of issue of the said securities/instruments;
 - (b) equity or equity linked instruments or debt instruments issued by a startup, irrespective of the sector in which it is engaged;
 - (c) units of a Venture Capital Fund (VCF) or of a Category I Alternative Investment Fund (Cat-I AIF) or units of a scheme or of a fund set up by a VCF or by a Cat-I AIF;
 - subject to the terms and conditions as may be laid down by the Reserve Bank.

Note: An FVCI registered under the SEBI (FVCI) Regulations, 2000 shall not require any prior approval of RBI for investments made under this Schedule.

- (2) A registered FVCI may purchase the securities / instruments mentioned above either from the issuer of these securities / instruments or from any person holding these securities / instruments or on a recognized stock exchange.
- (3) The consideration for all investment by an FVCI shall be paid out of inward remittance from abroad through normal banking channels or out of sale / maturity proceeds or income generated from investment already made as stated earlier.

2. Maintenance of account by the registered FVCI

A registered FVCI may open a foreign currency account and/or a rupee account with a designated branch of an Authorised Dealer subject to the condition that the account will be used only and exclusively for transactions under this Schedule.

3. Transfer of investments

The FVCI may acquire, by purchase or otherwise, from, or transfer, by sale or otherwise, to, any person resident or non-resident, any security / instrument it is allowed to invest in, at a price that is mutually acceptable to the buyer and the seller/issuer. The FVCI may also receive the proceeds of the liquidation of VCFs or of Cat-I AIFs or of schemes/funds set up by the VCFs or Cat-I AIFs.

4. Reporting

The actual inflow/outflow and the investments made by FVCIs may be reported in a manner as prescribed by Reserve Bank or SEBI.

ANNEX

List of sectors in which a Foreign Venture Capital Investor is allowed to invest

- 1. Biotechnology
- 2. IT related to hardware and software development
- 3. Nanotechnology
- 4. Seed research and development
- 5. Research and development of new chemical entities in pharmaceutical sector
- 6. Dairy industry
- 7. Poultry industry
- 8. Production of bio-fuels
- 9. Hotel-cum-convention centres with seating capacity of more than three thousand.
- 10. Infrastructure sector. (This will include activities included within the scope of the definition of infrastructure under the External Commercial Borrowing guidelines / policies notified under the extant FEMA Regulations as amended from time to time)."

[F. No. 1/5/EM/2016]

SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) and subsequently amended as under:—

G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005

G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No. 682(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R. No. 683(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R. No. 189(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R. No. 190(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R. No. 270(E) dated 07.04.2014
G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No. 361(E) dated 27.05.2014
G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No.370(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R. No.371(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R. No. 435(E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R. No. 400(E) dated 12.06.2014
G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R. No. 436(E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 341 E) dated 21.04.2010	G.S.R. No. 487(E) dated 11.07.2014
G.S.R. No. 821(E) dated 10.11.2012	G.S.R. No. 632(E) dated 02.09.2014
G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012	G.S.R. No. 798(E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 799(E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 800(E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 829(E) dated 21.11.2014
G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012	G.S.R. No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012	G.S.R. No. 914(E) dated 24.12.2014
G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013	G.S.R. No. 30(E) dated 14.01.2015
G.S.R. No. 515(E) dated 30.07.2013	G.S.R. No. 183(E) dated 12.03.2015
G.S.R. No. 532(E) dated 05.08.2013	G.S.R. No. 284(E) dated 13.04.2015
G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013	G.S.R. No. 484(E) dated 11.06.2015
G.S.R. No. 344(E) dated 29.05.2013	G.S.R. No. 745(E) dated 30.09.2015
G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013	G.S.R. No. 759(E) dated 06.10.2015
G.S.R. No. 393(E) dated 21.06.2013	G.S.R. No. 823(E) dated 30.10.2015
G.S.R. No. 591(E) dated 04.09.2013	G.S.R. No. 858(E) dated 16.11.2015
G.S.R. No. 596(E) dated 06.09.2013	G.S.R. No. 165(E) dated 15.02.2016
G.S.R. No. 597(E) dated 06.09.2013	G.S.R. No. 166(E) dated 15.02.2016
G.S.R. No. 681(E) dated 11.10.2013	G.S.R. No. 369(E) dated 30.03.2016